समाहरणालय, मुंगेर
(जिला स्थापना शाखा)
जिला भविष्य निधि कार्यालय, मुंगेर में लिपिक संवर्ग से सेवा निवृत कर्मियों के संविदा पर नियोजन हेतु अवसर

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार, पटना (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प सं0-2804, दिनांक 29.03.2010 एवं ज्ञापांक 13478/सा0प्र0 दिनांक 12.12.2011 एवं वित्त विभाग के पत्रांक 11279 दिनांक 13.12.2011 में दिये गये निदेश एवं प्रावधानों के आलोक में लिपिकीय संवर्ग के सेवा निवृत इच्छुक कर्मियों से विहित प्रपत्र में संविदा के आधार पर उसी पद पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमत्रित किये जाते है। रिक्तियॉ का ब्यौरा इस प्रकार है:-

1. अनुसूचित जाति	-	02
2. अत्यंत पिछड़ा वर्ग	-	01
3. अनारक्षित	-	06
	कुल	**09 पद**

2. संविदा पर चयन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जायगा:-

(क) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी।
(ख) कम्प्यूटर संचालन तथा कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान अनिवार्य है।
(ग) नियोजित कर्मियों के कार्यो की समीक्षा समय-समय पर की जायगी। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर उन्हे हटाया जा सकेगा।
(घ) चयन प्रथम चरण में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे आवश्यकतानुसार विस्तारित किया जा सकेगा।
(ड़) नियोजित सेवा निवृत कर्मियों को प्राप्त किये गये अन्तिम वेतन की राशि से पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वही राशि मासिक मानदेय के रूप में भुगतेय होगा।
(च) जिन रिक्तियों के विरूद्ध संविदा के आधार पर चयन किया जा रहा है, उनपर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की जा रही है। नियमित नियुक्ति होने के बाद संविदा पर चयनित कर्मियों की सेवाएँ स्वतः समाप्त कर दी जाएगी।

3. निम्नांकित कर्मियों की सेवा नहीं ली जायगी:-

I. जिन पर निगरानी का मामला चल रहा है।
II. जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रहा है।
III. जिन पर कोई गम्भीर आरोप विचारणीय हो।
IV. जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।
(क्रमांक (i) से (iv) के संबध में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
V. चयन समिति के दृष्टि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो सक्षम प्रतीत नहीं होगें।

4. नियोजन में निकट के वर्षो में सेवा निवृत कर्मियों को प्राथमिकता सूची में उपर रखा जाएगा।

5. सेवा निवृत इच्छुक उम्मीदवार विहित प्रपत्र में दिनांक 05.06.12 के 04:00 बजे अपराहन तक समाहरणालय मुंगेर (स्थान) में अपना आवेदन समर्पित कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रात आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायगा। संविदा पर नियोजन हेतु Walk in Interview दिनांक 12.06.12 को 10:00 बजे पूर्वाहन् तक समाहरणालय के सभा कक्ष मुंगेर में आयोजित किया जाएगा।

6. आवेदन के साथ पेंशन भुगातन आदेश, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र, सेवापुस्त की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

22/05/12

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

E:\Rai sir\GPF RTD Format.doc

विहित प्रपत्र

123/5

1. आवेदक का नाम :...

2. विभाग/कार्यालय का नाम :...

(जहाँ से सेवा निवृत हुए है)

3. जिला का नाम :...

4. जन्म तिथि :...

5. सेवा निवृति की तिथिः...

6. अन्तिम वेतनः-

(i)...

(ii)...

(iii)...

7. सेवा निवृति को धारित पदः-...

8. पेंशन स्वीकृति की स्थितिः-

(i) स्वीकृतः-

(ii) स्वीकृत नहींः-

(iii) औपबंधिक स्वीकृतः-
(सही (✓) का निशान लगायें)

9. पेंशन स्वीकृति-राशि-पेंशन+महंगाई राहत आदि (कुल जोड़कर)

10. सेवानिवृति की तिथि या पूर्व में विभागीय आरोप/विभागीय कार्रवाही की स्थितिः-

11. आरक्षण श्रेणीः-..

12. आरोप के निष्पादन की स्थिति में अधिरोपित दण्ड का विवरणः-...

13. वर्त्तमान पता (मोबाईल संख्या के साथ):-...

14. स्थायी पताः-...

घोषणा-पत्र

* एतद् द्वारा मै घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है। सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरा नियोजन रद्द किया जा सकता है।
* बिहार प्रशासनिक सुधार (सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प सं0-2804 दिनांक 29.03.2010 की सभी शर्त मान्य है।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थापना उपसमाहर्त्ता
मुंगेर

अपर समाहर्त्ता
मुंगेर

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।